

**वित्त मंत्रालय**  
**मांग संख्या 33**  
**वित्तीय सेवाएं विभाग**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
...	7323.62	7323.62	...	23359.12	23359.12	...	20446.52	20446.52		
1900.00	909.25	2809.25	1900.00	5109.88	7009.88	1542.00	1425.02	2967.02		
<b>1900.00</b>	<b>8232.87</b>	<b>10132.87</b>	<b>1900.00</b>	<b>28469.00</b>	<b>30369.00</b>	<b>1542.00</b>	<b>21871.54</b>	<b>23413.54</b>		
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	8.00	8.00	...	12.92	12.92	...	13.28	13.28
<b>अन्य राजकोषीय सेवाएं</b>										
2. अन्य व्यय	2047	...	5.19	5.19	...	8.05	8.05	...	10.42	10.42
(विशेष न्यायालय एवं अभिरक्षक का कार्यालय)										
<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>										
3. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण	2070	...	2.18	2.18	...	2.77	2.77	...	3.21	3.21
4. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड	2070	...	7.95	7.95	...	8.59	8.59	...	10.25	10.25
5. ऋण वसूली न्यायाधिकरण	2070	...	29.03	29.03	...	38.86	38.86	...	50.18	50.18
6. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण	2070	...	6.30	6.30	...	5.20	5.20	...	16.00	16.00
<b>जोड़-अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>			<b>45.46</b>	<b>45.46</b>		<b>55.42</b>	<b>55.42</b>		<b>79.64</b>	<b>79.64</b>
<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>										
7. नवम्बर, 1984 के दंगों से पीड़ित व्यक्तियों को ऋण पर ब्याज राहत	2235	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
8. अन्य व्यय (भारत की पेंशन प्रणाली में सुधार)	2235	...	0.50	0.50	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>			<b>0.51</b>	<b>0.51</b>						
<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>										
9. अन्य व्यय (परिसमापन न्यायालय का कार्यालय, कोलकाता)	3475	...	0.82	0.82	...	1.00	1.00	...	1.10	1.10
<b>लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय</b>										
10. ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी)										
10.01 डीआरटी चण्डीगढ़ के लिए भवनों का निर्माण	4059	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
10.02 डीआरटी चण्डीगढ़ के भवनों के निर्माण के लिए भूमि की खरीद	4059	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
<b>जोड़-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय</b>			<b>0.02</b>	<b>0.02</b>		<b>0.01</b>	<b>0.01</b>		<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>जोड़-वित्तीय सेवाएं विभाग</b>			<b>60.00</b>	<b>60.00</b>		<b>77.40</b>	<b>77.40</b>		<b>104.46</b>	<b>104.46</b>
<b>वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां</b>										
<b>औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं</b>										
11. एसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों का मोचन	2885	...	...	...	...	1500.00	1500.00	...	...	...
घटाइए-आईडीबीआई की भारग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली	6885	...	...	...	...	-1500.00	-1500.00	...	...	...
<i>निवल</i>										
12. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	2885	...	433.40	433.40	...	...	...	...	...	...
13. भारतीय निर्यात-आयात बैंक	4885	...	100.00	100.00	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00
14. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)										
14.01 विश्व बैंक पीएचआरडी अनुदान के तहत शामिल किए गए अध्ययन	2885	...	...	...	...	...	...	...	1.61	1.61
14.02 इक्विटी पूंजी	4885	...	200.00	200.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00

सं.33 / वित्तीय सेवाएं विभाग

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
(करोड़ रुपए)									
15. सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम (आई डब्ल्यू आर एफ सी)									
15.01 सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम (आई डब्ल्यू आर एफ सी) की स्थापना	2885	...	...	...	3.00	3.00	...	...	...
<b>जोड़-औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं</b>	...	<b>733.40</b>	<b>733.40</b>	...	<b>803.00</b>	<b>803.00</b>	...	<b>801.61</b>	<b>801.61</b>
<b>कृषि वित्तीय संस्थाएं</b>									
16. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	2416	...	0.91	0.91	...	0.91	0.91	...	...
17. सहकारी ऋण ढांचे के सुदृढीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से अनुदान	2416	...	3542.00	3542.00	...	3960.26	3960.26	...	...
18. किसानों को अल्प अवधि ऋण मुहैया कराने के लिए ब्याज सहायता	2416	...	1600.00	1600.00	...	2600.00	2600.00	...	2011.00
19. दीर्घावधि सहकारी ऋण तंत्र की पुनःव्यवस्था	2416	...	600.00	600.00	...	599.09	599.09	...	1000.00
20. वित्तीय समावेशन कोष को अंशदान	2416	...	25.00	25.00	...	...	...	...	...
21. वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी कोष को अंशदान	2416	...	25.00	25.00	...	...	...	...	...
22. कुएं खोदने के जरिए भूमिगत जल का कृत्रिम रूप से रिचार्ज घटाइए- सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि से प्राप्त राशि	2416	...	...	...	...	168.40	168.40	...	...
	2416	...	...	...	...	-168.40	-168.40	...	...
	<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...
23. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थानों को नकदी सहायता देने के लिए ब्याज सहायता	2416	...	...	...	...	130.00	130.00	...	...
24. ऋणात्मक निवल पूंजी वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को पुनः पूंजीकरण के लिए सरकार का अंशदान	4416	...	594.87	594.87	...	594.87	594.87	...	...
<b>जोड़-कृषि वित्तीय संस्थाएं</b>	...	<b>6387.78</b>	<b>6387.78</b>	...	<b>7885.13</b>	<b>7885.13</b>	...	<b>3011.00</b>	<b>3011.00</b>
<b>सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं</b>									
25. नाबार्ड में आरबीआई स्टेक की अधिग्रहण लागत	5465	1450.00	...	1450.00	1450.00	...	1450.00	1100.00	...
26. एनएचबी में आरबीआई स्टेक की अधिग्रहण लागत	5465	450.00	...	450.00	450.00	...	450.00	442.00	...
27. पंजाब एवं सिंध बैंक और यूको बैंक की इक्विटी पूंजी की पुनर्संरचना	5465	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...
28. भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों में राइट इश्यु में अंशदान के एवज में जारी एस एल आर विपणन योग्य प्रतिभूतियों के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान	5465	...	...	...	...	625.00	625.00	...	625.00
<b>जोड़-सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाएं</b>		<b>1900.00</b>	...	<b>1900.00</b>	<b>1900.00</b>	<b>625.01</b>	<b>2525.01</b>	<b>1542.00</b>	<b>625.00</b>
<b>अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं</b>									
29. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (प्रतिभूतियों में)									
29.01 भारत की कोटा वृद्धि के लिए	5466	...	...	...	...	3071.94	3071.94	...	...

मुख्य शीर्ष	(करोड़ रुपए)								
	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
29.02 प्राच्य भारतीय रूपयों के मूल्यांकन, समायोजन के लिए एम ओ वी वसूली घटना	5466	...	...	...	1077.49	1077.49	...	...	...
	6001	...	...	...	-1077.49	-1077.49	...	...	...
	<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...
30. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय सेवा प्रभार	2047	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...
31. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	5466	...	...	...	3.75	3.75	...	...	...
32. अफ्रीकी विकास निधि/बैंक									
32.01 अफ्रीकी विकास निधि के लिए अंशदान	5466	...	13.58	13.58	...	14.30	14.30	...	...
32.02 अफ्रीकी विकास बैंक के लिए अंशदान	5466	...	0.78	0.78	...	...	...	...	...
	<i>जोड़</i>	...	14.36	14.36	...	14.30	14.30	...	...
33. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	2416	...	0.02	0.02	...	27.99	27.99	...	...
34. अफगानिस्तान पुनर्निर्माण न्यास निधि	3466	...	0.84	0.84	...	0.88	0.88	...	...
35. प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपातिक सहायता	3466	...	1.85	1.85	...	4.39	4.39	...	...
<b>जोड़-अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं</b>			<b>17.08</b>	<b>17.08</b>		<b>3123.25</b>	<b>3123.25</b>		
36. गोआन बैंक को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2885	...	7.75	7.75	...	0.23	0.23	...	0.08
<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>									
37. अन्य व्यय (आई एम एफ को प्रभार)	3466	...	0.20	0.20	...	0.32	0.32	...	...
38. राष्ट्रीय आवास बैंक को विनिमय हानि की क्षतिपूर्ति	3475	...	36.66	36.66	...	36.66	36.66	...	...
<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>									
39. समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों को आर्थिक सहायता	2235	...	25.00	25.00	...	8.00	8.00	...	6.39
40. वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना के लिए जीवन बीमा निगम को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2235	...	200.00	200.00	...	150.00	150.00	...	172.00
41. किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना									
41.01 किसान ऋण राहत कोष को अंतरण	2235	...	...	...	...	15000.00	15000.00	...	15000.00
41.02 किसानों को ऋण माफी और ऋण राहत के लिए ऋण संस्थानों को भुगतान	2235	...	...	...	...	25000.00	25000.00	...	15000.00
घटाइए - किसानों को ऋण राहत निधि से प्राप्त राशि	2235	...	...	...	...	-25000.00	-25000.00	...	-15000.00
	<i>निवल</i>	...	...	...	...	15000.00	15000.00	...	15000.00
41.03 ऋण संस्थानों को ब्याज भुगतान	2235	...	...	...	...	...	...	...	2151.00
42. महिला स्व सहायता समूहों (एस एच जी) के लिए जनश्री बीमा योजना हेतु एल आई सी की सामाजिक सुरक्षा निधि को उधार	2235	...	...	...	...	500.00	500.00	...	...
घटाइए- सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि से प्राप्त राशि	2235	...	...	...	...	-500.00	-500.00	...	...
	<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...

		बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010				
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़		
43. ऋण भार से ग्रस्त राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल व महाराष्ट्र में अतिदेय ऋणों पर ब्याज की माफी		2235	...	640.00	640.00	...	460.00	460.00	...	...	...	
<b>जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सामान्य वित्त और व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण</b>			...	<b>865.00</b>	<b>865.00</b>	...	<b>15618.00</b>	<b>15618.00</b>	...	<b>17329.39</b>	<b>17329.39</b>	
44. आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के लिए सरकार का इसके प्रीमियम के हिस्से का भुगतान करने के लिए अंशदान		7465	...	...	...	...	1000.00	1000.00	...	...	...	
घटाइए-सामाजिक और अवसंरचना विकास कोष से प्राप्त राशि		7465	...	...	...	...	-1000.00	-1000.00	...	...	...	
<i>निवल</i>			...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>विविध सामान्य सेवाएं</b>												
45. गारंटी मोचन निधि को अंतरण		2075	...	125.00	125.00	...	300.00	300.00	...	...	...	
<b>जोड़-वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां</b>				<b>1900.00</b>	<b>8172.87</b>	<b>10072.87</b>	<b>1900.00</b>	<b>28391.60</b>	<b>30291.60</b>	<b>1542.00</b>	<b>21767.08</b>	<b>23309.08</b>
<b>कुल जोड़</b>				<b>1900.00</b>	<b>8232.87</b>	<b>10132.87</b>	<b>1900.00</b>	<b>28469.00</b>	<b>30369.00</b>	<b>1542.00</b>	<b>21871.54</b>	<b>23413.54</b>
<b>ग. आयोजना परिव्यय</b>		विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट सहायता	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट सहायता	आं.ब.बा.सं.	जोड़	
1. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		13475	1900.00	...	1900.00	1900.00	...	1900.00	1542.00	...	1542.00	

टिप्पणियां: 2009-10 से वित्तीय सेवाएं विभाग में विलयित वित्तीय संस्थाओं को मांग भुगतान

- यह प्रावधान वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
- यह प्रावधान प्रतिभूतियों में होने वाले लेनदेनों सहित अनियमितताओं की जांच करने हेतु अभिष्कक और विशेष न्यायालय के कार्यालय के लिए है।
- 5-यह प्रावधान औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड तथा ऋण वसूली अधिकरणों के लिए है।
- यह प्रावधान पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को अनुदान मुहैया कराने के लिए है।
- इसमें परिसमापक न्यायालय के कार्यालय, कोलकाता और गरीबों के लिए संरक्षित बचत स्कीम के बीमा तत्व के लिए प्रावधान शामिल हैं।
- यह प्रावधान ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के लिए भूमि की खरीद और भवन का निर्माण करने के लिए है।
- भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक)** निर्यातों तथा आयातों के लिए वित्तीय सहायता देता है तथा देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात तथा आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्य के समन्वयन के लिए प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। सरकार से निधियां अंश पूंजी के रूप में प्राप्त होती हैं।
- भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)** को 10 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी और 1,000 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ 5 जनवरी, 2006 को निगमित किया गया था। अब इसकी प्राधिकृत पूंजी बढ़ कर 2,000 करोड़ रुपए हो गई है। आईआईएफसीएल बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से

- लिए गए अन्य ऋणों की अनुपूर्ति करने के लिए पात्र परियोजनाओं को सीधे निधियां, विशेषकर दीर्घावधिक परिपक्वता वाले ऋण प्रदान करेगा। कम्पनी दीर्घावधिक अवसंरचना वित्त के अंतर को पूरा करेगी जिसका निवारण करने में बैंक आस्तियों तथा देयताओं में अमेलता की समस्याओं के कारण असमर्थ हैं। आई आई एफ सी एल को इक्विटी सहायता हेतु प्रावधान है।
- प्रावधान, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सरकारी बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को किसानों के लिए अल्पावधिक ऋण मुहैया कराने हेतु ऋण सहायता के लिए है।
- यह प्रावधान देश में दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय करने हेतु राज्यों और सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने हेतु नाबार्ड को अनुदानों का भुगतान करने के लिए है।
- 25-26. यह प्रावधान नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की धारिता को अधिगृहीत करने हेतु व्यय को पूरा करने के लिए है।
- यह प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू में अंशदान के मुकाबले जारी की गई प्रतिभूतियों को विमोचित करने हेतु प्रतिभूति विमोचन निधि में अंशदान करने के लिए है।
- यह प्रावधान गोआन बैंक को व्याज इमदाद का भुगतान करने के लिए है।
- यह प्रावधान समुदाय आधारित वैश्विक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों को इमदाद के लिए है।
- यह प्रावधान पालिसी धारकों को पेंशन/वार्षिकी के प्रति भुगतान करने और

पालिसी धारकों के नामितियों को एकमुश्त बराबरी खरीद मूल्य का भुगतान करने हेतु है।

41. यह प्रावधान किसानों को ऋण माफी एवं ऋण राहत देने के प्रति उधारदाता संस्थाओं को निधियां जारी करने हेतु है। इसमें उधारदाता संस्थाओं को ब्याज का भुगतान करने के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।

44. आम आदमी बीमा योजना (ए ए बी वाई) के लिए सरकार के प्रीमियम के हिस्से के भुगतान के प्रति अंशदान - यह प्रावधान निधि प्रबंधक के रूप में, भारतीय

जीवन बीमा निगम द्वारा प्रचालित होने वाली आधार भूत निधि का निर्माण करने, केंद्र सरकार की देयताओं को ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार के प्रीमियम भुगतान के हिस्से के प्रति देयता को पूरा करने के लिए है। व्यय को भारत के लोक लेखा में डाली गई 'सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि' से वसूलियों द्वारा पूरा किया जाएगा।

45. गारन्टी विमोचन निधि की आधारभूत निधि का निर्माण करने हेतु अंशदान किया गया है।